بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمَّتِىْ لَا تَجْتَمِعُ عَلٰى ضَلَالَةٍ، فَاِذَا رَاَيْتُمْ اِخْتِلَافاً فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ ۔

(ترمزی: جلد۲، صفحہ ۳۹، ابن ماجہ: صفحہ ۲۸۳، ابو داؤد: رقم ۴۲۵۳)

तर्जुमा–हुज़ूर (स.अ.व.) इरशाद फरमाते हैं के मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। पस जब तुम इख़्तेलाफ देखो तो सवादे आज़म और ग़ालिब अकसरियत का इत्तिबा अपने ऊपर लाज़िम कर लो।

हुज़ूरे अकरम (स.अ.व.स.) की हदीसे मुबारका से

बीस रकात तरावीह का सुबूत

बीस रकात तरावीह की रिवायत के रावी के ज़ोअफ का इज़ाला ख़ुद उलमाए ग़ैर मुक़ल्लेदीन की क़लम से

मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी

मुरत्तिब – मौलवी अलीमुद्दीन क़ासमी

:: शाएकर्दा ::

नौजवानाने अहले सुन्नत वलजमाअत

चंदन नगर, इन्दौर

:: ज़ेरे नज़र ::

अंजुमन तहफ्फुज़ अहले सुन्नत, इन्दौर

पेश लफ्ज़

रमज़ान का महीना जहाँ अपनी रेहमतें, बरकतें लेकर नमूदार होता है वहाँ ग़ैर मुक़ल्लिद का ये ग़ोग़ा और शोर-शराबा भी सर उठा लेता है के तरावीह सिर्फ आठ रकात सुन्नत है। इससे ज़ाइद ना जायज़ और बिदअत। तरह-तरह के मसाइल और इशतेहारात की भरमार हो जाती है। अवामुन्नास बीस रकात तरावीह के दलाइल व बराहिन से ना आशना होते हैं। इसलिए वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं के हमारे पास कोई मज़बूत और ठोस दलील नहीं हैं। ग़ैर मुक़ल्लेदीन के इस प्रोपेगंडे के जवाब में और दीगर मसाइल के रद में हिन्द व पाक में तरावीह के सुबूत में कई किताबें मंज़रे आम पर आ गई हैं। मसलन हज़रत अल्लामा ताहिर हुसैन साहब की किताब अहसनुत्तन्क़ीह लिरकआतुत्तरावीह मौलाना हबीबुर्रहमान अल आज़मी की किताब रकाअतुत्तरावीह मौलाना मोहम्मद क़ासिम साहब की किताब अत्तौज़ीह अनरकअतित्तरावीह हाफ़िज़ ज़हूर अहमद अलहुसैनी की लाजवाब किताब रकाते तरावीह एक तेहक़ीक़ी जायज़ा ओलमाए देवबंद की दीनी जद्दोजहद और कोशिशें देखकर दिल चाहता है के यह शेर पढ़ा जाए।

बातिल से दबने वाले के आसमाँ नहीं हैं हम

सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा

बीस रकात तरावीह पर हिन्दी ज़बान में कोई किताब बन्दे की नज़र से नहीं गुज़री। इसलिए काफ़ी शिद्दत से इसकी ज़रूरत मेहसूस की जा रही थी। अल्लाह की तौफीक़ और उसकी मदद से चंद किताबों को लेकर ख़ास-ख़ास मोज़ूअ को हिन्दी कराना शुरू किया। यहाँ तक के एक छोटा सा किताबचा तैयार हो गया जिसमें हमने सिर्फ़ बीस रकात तरावीह को साबित किया है। ग़ैर मुक़ल्लेदीन की आठ रकात तरावीह के दलाइल को अभी नहीं छेड़ा है। इन्शाअल्लाह फ़िर किसी वक़्त तफ़सील से इस मोज़ूअ को लिखा जाएगा। उम्मीद है के इस किताब को पढ़कर अहबाब को तसल्ली होगी और समझने वालों के लिए हिदायत का ज़रिया बनेगी। अल्लाह तआला इस किताब के फ़ैज़ को आम फ़रमाए। وَمَا تَوْفِيْقِ اِلَّا بِاللّٰہِ

लिखने में या हवाला देने में ग़लती हुई हो तो अहले नज़र से दरगुज़र और मुआफ़ी की दरख़्वास्त है। नीज़ बन्दे की हिम्मत अफज़ाई के साथ इस्लाह भी फ़रमा दें। (जज़ाकल्लाह)

अलीमुद्दीन क़ासमी

बीस रकात तरावीह पर अइम्मा अरबआ (चारों इमामों) का इत्तफाक़ है

– इमाम अबू हनीफा का मसलक –

इमाम सरख़ी फरमाते हैं – क़ाला अबू हनीफा युसल्ली इशरीना रकअतन कमा हुवस्सुन्ना। (अलमबसूत, जिल्द 2, सफहा142/ लिसरख़सी)

– इमाम शाफई का मसलक –

इमाम शाफई ख़ुद फरमाते हैं – **फअम्मा क़यामा शहरि रमज़ाना आहब्बा इलय्या इशरूना लिअन्नहू रूविया अन उमरा रज़ीयल्लाहु अन्हु व कज़ालिका यकूमूना बिमकत्ता व यूतिरूना बिसलासिन (किताब लिउम जिल्द 1, सफहा125)**

यानी रमज़ानुल मुबारक के क़याम (तरावीह में मुझे 20 (बीस) रकात पसन्द हैं क्योंके ये हज़रत उमर (रज़ि.) से मन्कूल है और मक्का मुकर्रमा में भी लोग 20 (बीस) रकात (तरावीह) और तीन वित्र पढ़ते थे।

– इमाम अहमद का मसलक –

फिक़ा हंबली की सबसे बेहतर किताब अलमुग़नी में इमाम अहमद का मसलक यूँ नक़ल किया गया है – **वलमुख़तारू इन्दा अबी अब्दिल्लाहि रहमतुल्लाहि अलयहि फीहा इशरूना रकअतन। (अलमुग़नी, जिल्द 1, सफहा 298)**

इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद हंबल के नज़दीक तरावीह में मुख़तार 20 (बीस) रकअत पढ़ना है।

हाफिज़ इब्ने तीमिया भी इमाम अहमद का मसलक 20 (बीस) रकात तरावीह ही बयान करते हैं। चुनाँचे अपने फतावा में लिखते हैं -

वत्तरावीह कमज़हबि अबी हनीफता वश्शाफई व अहमद इशरीना रकअतन (अलफतावलकुबरा जिल्द 4, सफहा 227 मतबूआ मिस्त्र)

बेशक तरावीह बीस रकात है जैसा इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई और इमाम अहमद का मसलक है।

- इमाम मालिक का मसलक -

इस सिलसिले में इमाम मालिक से दो रिवायतें मिलती हैं -

(1) तरावीह 20 (बीस) रकात है जैसा के अल्लामा अब्दुल बर ने इसी रिवायत को तरजीह दी है और फिक़्हा मालिकी की कुतुब अनवारे सातेआ वग़ैरह में इमाम मालिक का यही मसलक मज़कूर है।

(2) दूसरी रिवायात 36 (छत्तीस) रकात है और इसी क़ौल को अकसर मालिकियों ने इख़्तियार किया है और यही इमाम मालिक का मशहूर और मोअतबर मज़हब है (मजमूआ शरहि मोहज़्ज़िब जिल्द 4, सफहा 32) (फतहुल बारी जिल्द 2, सफहा 252)

मोहतरम दोस्तों ! आज चारों मसलक वाले 20 (बीस) रकात ही पर मुत्तफिक़ हैं मक्का-मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी हंबली और शाफई मसलक के इमाम हैं वह भी 20 (बीस) रकात पढ़ते हैं।

20 रकात तरावीह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम से पढ़ना साबित है। आँखों से तअस्सुब का ऐनक़ उतार कर इन्साफ़ की नज़र से पढ़ें -

बनते हो वफादार तो वफा करके दिखाओ
कहने की वफा और है करने की वफा और

- अरबी रिवायत -

عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر (مصنف ابن ابى شيبه ص ٣٩٤ / ج ٢) قلت سنده حسن وتلقة الأمة بالقول فهو صحيح -

तर्जुमा - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाह अन्हुनमा फरमाते हैं के आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम रमज़ान में बीस रकअत (तरावीह) और वित्र पढ़ते थे। यह हदीस सनद के एतबार हसन है नीज़ उम्मत की अमली ताईद इसे हासिल है इसलिए यह बिल्कुल सहीह है।

तू न माने तो बातें हज़ार हैं

इसकी सनद पर जितना कलाम है उसका मुख़्तसर जवाब पढ़ते चलें। तफसीली जवाब के लिए किताब रकआते तरावीह एक तेहक़ीक़ी जायज़ा का मुताला करें।

इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा और इमाम अहमद बिन हंबल

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की 20 (बीस) रकात वाली हदीस जो ऊपर लिखी है उसमें इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा रावी है जिसको मुहद्देसीन ने ज़ईफ कहा है। लेकिन ये रावी इतना ज़ईफ भी नहीं है के उसकी रिवायात को बिल्कुल रद या मोज़ूअ क़रार दिया जाए क्योंके माहेरीने फन ने इसको मोअतबर और सच्चा भी कहा है जैसा के आप अगले सफहात में पढ़ेंगे इन्शाअल्लाह।

इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं के इब्राहीम बिन उस्मान मुन्करे हदीस है।

जवाब – ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना इरशादुल हक़ असरी लिखते हैं के इमाम अहमद ने किसी को मुनकरूल हदीस बिलफर्ज़ कहा भी हो तो उसको जरह मुफस्सिर क़रार नहीं दिया जा सकता (यानी ज़ईफ क़रार देने का वाज़ेह सबब क़रार नहीं दिया जा सकता) इसलिए के इमाम अहमद बिन हंबल की इस्तलाह में मुनकरूल हदीस ऐसे रावी को कहा जाता है जो ग़रीब हदीस लाए और ग़रीब हदीस सही भी हो सकती है (हवाला तोज़ीहुल कलाम सफहा 500)

दूसरे ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना मोहम्मद गोन्दलवी साहब लिखते हैं : इमाम अहमद और इस क़िस्म के लोग किसी को मुनकर कहते हैं तो इससे ये लाज़िम नहीं आता के वह क़ाबिले इस्तदलाल नहीं। (ख़ैरूल कलाम, सफहा 49, बहवाला अहसनुल कलाम जिल्द 1, सफहा 314)

इब्राहम बिन उस्मान अबू शैबा और इमाम बुख़ारी और इमाम अबू हातिम

इमाम बुख़ारी और इमाम अबू हातिम ने सकतू अन्हू और तरकू अन्हू फरमाया है सकतू अन्हु के मानी ये हैं के माहेरीने फन इब्राहीम बिन उस्मान के बारे में ख़ामोश हैं और तरकू अन्हू के मानी हैं उससे रिवायत लेना छोड़ दी।

जवाब – इमाम बुख़ारी और इमाम अबू हातिम ने इन दोनों जुमलों (सकतू अन्हू, तरकू अन्हू) से अपनी राए का इज़हार नहीं किया है बल्के दूसरे लोगों की राए नक़ल की है। इमाम बुख़ारी और इमाम अबू हातिम ने ये नहीं बताया के कौन-कौन से मुहद्देसीन ने ख़ामोशी इख़्तियार की है और किस किस मुहद्दिस ने इनसे रिवायत लेना छोड़ दी। रावी को ज़ईफ बताने वाले मजहूल (गुमनाम) हैं तो अहले इल्म ने ऐसे इमामों की बातों को कुबूल नहीं माना। ग़ैर मुक़ल्लिद की किताब (तोज़ीहुल कलाम जिल्द 1, सफहा 324) मुलाहेज़ा फरमाइए –

इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा और इमाम बिन अदी।

इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा को इमाम इब्ने अदी ने लिनून (कमज़ोर) कहा है और इसकी हदीस को उन्होंने अपनी किताब अलकामिल में अबू शैबा की मनाकीर में ज़िक्र किया है।

जवाब इसका भी यही है के इमाम इब्ने अदी इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा के ज़ईफ होने की इल्लत सिर्फ लिनून बताई है लेकिन यह इल्लत भी ग़ैर वाज़ेह है बित्तफसील नहीं है इसलिए इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा की रिवायत बिल्कुल सही है।

इमाम इब्ने अदी ने अबू शैबा के बारे में यह भी फरमाया : लोगों ने अगरचे अबू शैबा को ज़ईफ की तरफ मन्सूब किया है लेकिन वह इब्राहीम बिन अबी हय्या से बेहतर हैं (तेहज़ीबुल कमाल जिल्द 1, सफहा 393)

इमाम नसाई फरमाते हैं इब्राहीम बिन अबी हय्य ज़ईफ हैं इब्नु अलमदीनी फरमाते हैं लयसा बिशयइन, इमाम अबू हातिम और इमाम बुख़ारी फरमाते हैं मुनकरूल हदीस, इमाम दार कुतनी फरमाते हैं मतरूक, दूसरी तरफ इस रावी की तारीफ भी की गई है और इसको सच्चा बताया गया है। इमाम याहया बिन मुईन फरमाते हैं शैख़ुन सिकतुन कबीरून यानी यह शेख़ हैं और बहुत बड़े सिकह हैं (यानी बहुत ही मोअतबर) हैं लिहाज़ा ये रावी मुख़तलिफ है बाज़ों ने इसको ज़ईफ और बाज़ों ने मोअतबर कहा है इब्राहीम बिन अल हय्या 11 रकात रिवायत का रावी है इसके बावजूद यह मुख़तलिफ रावी है। फिर भी इब्राहीम बिन हय्या की 11 रकात वाली रिवायत को ग़ैर मुक़ल्लेदीन सही मानते हैं। तो अब मेरा सवाल यह है के इब्राहीम बिन अबी हय्या से ज़्यादा अच्छा और सिक़ह रावी बक़ौल इब्ने अदी के इब्राहीम बिन अबी शैबा है तो फ़िर इब्राहीम बिन शैबा की बीस रकात वाली रिवायत को सही क्यों न माना जाए।

इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा और इमाम शोअबा

अमीरिल मोमिनीन फीलहदीस हज़रत इमाम शोअबा ने इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा को सिर्फ़ एक रिवायत के बारे में कज़्ज़ाब कहा है इमाम शोअबा ने इमाम अबू शैबा की मुतलक़ तकज़ीब नहीं की। चुनाँचे हाफिज़ इब्ने हजर लिखते हैं - वकज़्ज़बहू शोअबा फी क़िस्सतिन (हवाला तेहज़ीब जिल्द 1, सफहा145) क़िस्सा ये है के इब्राहीम बिन उस्मान अबू शैबा ने हकम से ये रिवायत बयान की हज़रत इब्ने अबी लैला फरमाते हैं जंगे सिफ्फीन में सत्तर अहले बद्र ने शिरकत की थी इमाम शोअबा ने फरमाया के अबू शैबा ने ग़लत बयानी की मैंने हकम से इसका तज़करा किया तो हमने सिवाए हज़रत ख़ुज़ेमा के किसी अहले बद्र को नहीं पाया इस बयान से वाज़ेह हो गया के इमाम शोअबा ने अबू शैबा की मुतलक़ तकज़ीब नहीं की बल्के सिर्फ एक वाक़ेआ बयान करने में अबू शैबा को झुटलाया है।

कभी कज़्ज़बा अख़ताआ (ग़ल्ती) के माना में भी आता है।

ग़ैर मुक़ल्लेदीन हज़रात भी ज़रूरत पड़ने पर कज़्ज़बा को अख़ताआ के मानी में लेते हैं। चुनाँचे इमाम मालिक ने हदीस के

एक रावी मोहम्मद बिन इस्हाक़ को कज़्ज़ाब कहा है (बहुत बड़ा झूटा)। इमाम के पीछे सूरह फातेहा पढ़ने की रिवायत जो ग़ैर मुक़ल्लिदों की दलील है इस रिवायत की सनद में मोहम्मद बिन इस्हाक़ रावी आया है। जिसको इमाम मालिक ने कज़्ज़ाब कहा है) इमाम मालिक की जरह का जवाब देते हुए ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना इरशादुल हक़ असरी इमाम याहया बिन मुईन के हवाले से लिखते हैं - ग़ालेबन उन्होंने (इमाम मालिक ने) कज़्ज़बा को अख़ताआ के माने में लिया हो। कलाम में ग़लती (ख़ता) की बिना पर कज़्जाब कहा हो (हवाला तोज़ीहुल कलाम जिल्द 1, सफहा 24) **क्या ग़ैर मुक़ल्लेदीन इब्राहीम अबू शैबा के साथ भी यही इन्साफ करेंगे ?**

- इब्ने अदी की जरह का जवाब एक और -

इब्ने अदी ने इब्राहीम अबू शैबा को लिनून कहा है - अब लिनून का लफ्ज़ से इब्राहीम अबू शैबा को ज़ईफ कहा गया है हालाँके किसी रावी को लिनून कहने से रावी इतना कमज़ोर और ज़ईफ नहीं होता है के उससे रिवायत तर्क कर दी जाए इसलिए के हदीस के माहेरीन ने लिनून को (हल्के) और मामूली दर्जे के अलफाज़ में शुमार किया है चुनाँचे ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलवी नज़ीर रहमानी लिखते हैं ..... मालूम हुआ के जिस रावी के मुतअल्लिक़ फीहि लिनून या लिनूल हदीस कहा हो उस रावी की रिवायत क़ाबिले तर्क नहीं होती (हवाला अनवारूल मसाबीह, सफहा 115)

- ग़ैर मुक़ल्लेदीन की नाइन्साफी -

ग़ैर मुक़ल्लेदीन की तअस्सुब और नाइन्साफी मुलाहेज़ा करें रावी को ज़ईफ साबित करने के लिए जो सबब उनके नज़दीक भी नाक़ाबिले कुबूल हैं उन ही असबाब के बलबूते पर वह अबू शैबा को किस तरह से सख़्त जुमले इस्तेमाल करके अब शैबा को ज़ईफ क़रार देकर उसकी रिवायत को रद कर देते हैं जैसा के अभी आप बीस रकात वाली रिवायत के बारे में पढ़ रहे हैं मगर हैरत उस वक़्त होती है जबके अबू शैबा उनके मसलक के मुवाफिक़ कोई रिवायत नक़ल करें तो यह उस रिवायत को बेधड़क कुबूल कर लेते हैं। न उसको ज़ईफ कहते हैं और न मोज़ूअ क़रार देते हैं। चुनाँचे मौलाना सादिक़ सियालकोटी सलातुर्रसूल में नमाज़े जनाज़ा में सूरह फातेहा पढ़ने की दलील इब्ने माजा के हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत पेश करते हैं (सलातुर्रसूल, सफहा 434) इसकी सनद में भी यही अबू शैबा मौजूद हैं लेकिन न मौलाना मोहम्मद सादिक़ सियालकोटी ने और न इस किताब की तसदीक़ करने वाले ग़ैर मुक़ल्लेदीन उलमा ने इस रिवायत के रावी अबू शैबा के ज़ोअफ की तरफ अदना सी निशानदही भी नहीं की। यह है ग़ैर मुक़ल्लिद का इन्साफ।

- इब्राहीम इब्ने अबू शैबा की तौसीक़ -

इमाम शोअबा बिन अलहुज्ज़ाज ने इब्राहीम इब्ने उस्मान अबू शैबा से रिवायत ली है (हवाला तेहज़ीबुल कलाम, जिल्द 1, सफहा 39) और ग़ैर मुक़ल्लिद उलमा इमाम शोअबा के बारे में लिखते हैं

इमाम शोअबा सिर्फ उसी रावी से रिवायत लेते हैं जो सिक़ा (सच्चा) हो और उसकी अहादीस सही हो (हवाला अलक़ौलुल मक़बूल शरह सलातुर्रसूल, सफहा 386, नीलुल अवतार जिल्द 1, सफहा 61) इबकारूल मिनन, सफहा 147-150

अब सवाल यह है के अगर अबू शैबा इतना ही ज़ईफ रावी है और उसकी हदीस सही नहीं तो फिर इमाम शोअबा ने इससे रिवायत क्यों बयान की है। ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना मुबारकपुरी लिखते हैं के तिरमिज़ी में एक रिवायत भी मोज़ूअ नहीं है और अबू शैबा की रिवायत तिरमिज़ी शरीफ़ में मौजूद है तो फ़िर अबू शैबा की रिवायत मोज़ूअ कैसे हो सकती है ? (हवाला- तोहफतुलअहवज़ी, जिल्द 1, सफ़हा 158)

२० रकात तरावीह और उलमा ग़ैर मुक़ल्लेदीन

ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना मियाँ गुलाम रसूल साहब रिसाला तरावीह मए तर्जुमा यनाबीअ, सफहा 280 पर लिखते हैं।

हज़रात सहाबा किराम अइम्मा अरबआ और मुसलमानों की अज़ीम जमाअत का अमल यह है के वह हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने से लेकर इस वक़्त तक मशरिक़ व मग़रिब में तैइस (23) ही पढ़ते हैं।

नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ साहब ग़ैर मुक़ल्लिद लिखते हैं

कोई हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ भी हो लेकिन उसके मज़मून पर पूरी उम्मत का अमल हो तो उस हदीस पर अमल करना

ज़रूरी हो जाता है हत्ता के उस हदीस को ज़ईफ कहने वाले उलमा भी उस पर अमल करते हैं (हवाला अर्रोज़तुन्नबिय्या, सफहा 6)

अल्लामा इब्ने हज़्म ज़ाहिरी ग़ैर मुक़ल्लिद फरमाते हैं

जब कोई मुरसल हदीस हो या कोई ऐसी हदीस हो जिसके रावी में ज़ोअफ हो और हम ये देखें के सब लोगों का उस पर इज्मा है उसके क़ाइल हैं तो यक़ीनन हम जान लेंगे के वह हदीस सही है और इसमें कोई शक नहीं (तोजीहुन्नज़र, सफहा 5) यह ऐसी हदीस है के इसके कुबूल करने पर फुक़हा ने बिलइत्तेफाक़ इस हदीस को कुबूल किया है इसकी असल कोई ज़रूर मौजदू है।

नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ अपनी एक दूसरी किताब ओनुलबारी (जिल्द 1, सफहा 317) पर लिखते हैं..... हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर में जो तरीक़ा बीस (20) तरावीह का राइज हुआ उसको उलमा ने मिस्ल इज्मा के शुमार किया है।

मौलाना वहीदुज़्ज़माँ ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम रक़्म तराज़ हैं। कोई यह वहम न करे के हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी तरफ से दीन में एक बात शरीक कर दी जिसका इख़्तियार उनको न था इसी तरह बीस (20) रकात तरावीह का हुक्म अपनी राय से दे दिया ...... लुग़ातुल हदीस।

बीस रकात तरावीह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के ज़माने में

इमाम अबू बकर बिन अबू शैबा फरमाते हैं हद्दसना वकीअ

अन मालिक अय्यहया बिन सईद अन उमर बिन अलख़त्ताब अमरा रजोलन अन्ययुसल्ली लहुम इशरीना रकअतन।

तर्जुमा – हज़रत याहया बिन सईद अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है के हज़रत उमर रज़ि. बिन ख़त्ताब ने एक आदमी (हज़रत उबई बिन काब) को हुक्म फरमाया के वह लोगों को बीस (20) रकात तरावीह पढ़ाए।

ग़ौर से पढ़िए

ये रिवायत सनद के लिहाज़ से आला दर्जे की सहीह है अलबत्ता यह रिवायत मुरसल है क्योके इसके रावी हज़रत याहया बिन सईद ताबई ने हज़रत उमर (रज़ि.) का ज़माना नहीं पाया लेकिन मुरसल रिवायत इन्दल जमहूर हुज्जत है (क़ाबिले कुबूल) यह मुरसल क़वी है इसलिए के अगर हज़रत याहया बिन सईद ताबई कमज़ोर होते तो इमाम मालिक ख़ुद बीस (20) रकात पर अमल न करते इमाम बुख़ारी के उस्ताद अली बिन मदीनी फरमाते हैं के मैंने मदीना मुनव्वरा में याहया बिन सईद और इब्ने शहाब जैसा कोई ताबई नहीं देखा (हवाला तज़करा जिल्द 1, सफहा 137)

मुरसल हदीस की बहस

अवाम शायद समझ न पाएँ के मुरसल हदीस क्या है इसलिए पहले मुरसल किसे कहते हैं इसको समझिए मुरसल उसे कहते हैं जो

ताबई सहाबी का वास्ता छोड़कर हदीस बयान करे के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने यूँ फरमाया। या ताबई किसी सहाबी का ज़माना न पाया हो और ताबई सहाबी का नाम लेकर हदीस बयान करे के फलाँ सहाबी ने यूँ हुक्म फरमाया इस क़िस्म की रिवायत को हदीस मुरसल कहते हैं। हदीस मुरसल से दलील पकड़ना इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक इमाम अहमद और इमाम शाफई फुक़हा व मुहद्देसीन के नज़दीक मुतलक़ हुज्जत है अलबत्ता इमाम शाफई के यहाँ हदीसे मुरसल मुतलक़न हुज्जत नहीं है बल्के इमाम शाफई के यहाँ मुरसल मोअतज़िद हुज्जत है। मुरसल मोअतज़िद का मतलब यह है के उस मुरसल की ताईद किसी दूसरी सनद से होती हो या उस पर सहाबा किराम ने अमल किया हो।

इसलिए हज़रत यहया बिन सईद अन्सारी की मज़कूरा रिवायत भी मुरसल मोअतजिद से (यानी उसकी ताईद दूसरी रिवायत से होती है) हज़रत यहया बिन सईद की रिवायत की ताईद में चार रिवायतें और भी हैं यहाँ सिर्फ उन किताबों का हवाला दिया जाता है और ग़ैर मुक़ल्लेदीन ने उन रिवायात पर जो ऐतराज़ात किए उन सबके जवाबात आप किताब रकात तरावीह एक तेहक़ीक़ी जाइज़ा, सफहा 60 से मुलाहेज़ा फरमाएँ।

रिवायत नं. १ का हवाला

(मुअत्ता इमाम मालिक सफहा 40) रिवायत नं. 2 का हवाला मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 285/3। नोट - मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की यह 20 रकात रिवायत बिल्कुल सही है और सनद उसकी आला है)

रिवायत नं.3 का हवाला सुनन अबू दाऊद सफहा 203 बहवाला रकात तरावीह का एक जायज़ा) रिवायत नं. 4 का हवाला मारेफतुस्सुनन सफहा 42/4

मौलाना इस्माईल सलफी साहब ग़ैर मुक़ल्लिद (साबिक़ नाज़िमे आला जमइय्यत) इब्ने माजा की एक ज़ईफ रिवायत को पेश करते हुए लिखते हैं।

وقد قبل جمهور الامة رواية ابن ماجة مع ضعفها

حواله حركة انطلاق الفكرى (ص ٤٤، جلد ٣)

यानी इब्ने माजा की इस हदीस को ज़ईफ होने के बावजूद जमहूरे उम्मत ने कुबूल किया है तो अब जबके ग़ैर मुक़ल्लेदीन उलमा को यह बात तस्लीम है के हदीसे इब्ने अब्बास को अमली ताईद हासिल है और उम्मत ने कुबूल कर लिया है और इनको यह भी इक़रार है अगर कोई हदीस ज़ईफ भी हो तो उम्मत के कुबूल करने की वजह से उसका ज़ोअफ ख़त्म हो जाता है। लिहाज़ा हदीस इब्ने अब्बास बीस रकात तरावीह वाली ग़ैर मुक़ल्लेदीन के मुसल्लम उसूल की रोशनी में भी बिल्कुल सहीह और क़ाबिले अमल है।

बीस (२०) तरावीह अहदे फारूक़ी व अहदे उस्मानी में

इमाम बहीक़ीअश्शाफई अपनी किताब किताब अस्सुननुलकुबरा (496/2) पर लिखते हैं -

तर्जुमा हज़रत साइब बिन यज़ीद (रज़ि.) फरमाते हैं के सहाबा किराम (रज़ि.) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौरे ख़िलाफत में बीस रकात (तरावीह के साथ क़याम करते थे और कुर्रा हज़रात) सौ सौ आयात वाली सूरतें पढ़ते थे और हज़रत उस्मान ग़नी के दौरे ख़िलाफत में लोग शिद्दते क़याम की वजह से लाठियों पर टेक लगाते थे।

चूँके इस रिवायत का आख़री जुमला लोग यानी सहाबा किराम (रज़ि.) हज़रत उस्मान ग़नी के दौरे ख़िलाफत में शिद्दते क़याम की वजह से लाठियों पर टेक लगाते थे बीस रकात के मा तहत मरवी है तो इससे यही ज़ाहिर है के हज़रत उस्मान (रज़ि.) के दौर में तरावीह 20 रकात पढ़ी जाती थी अगर हज़रत उस्मान (रज़ि.) के दौर में बीस रकात के अलावा कम या ज़्यादा तादाद में तरावीह होती तो हज़रत साइब बिन यज़ीद इस अदद को भी ज़िक्र फरमाते फिर आप यह भी देखें के हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अलीय्युल मुरतज़ा (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफत में भी 20 रकात तरावीह पर अमल होना भी इस बात की दलील है के अहदे उस्मानी में भी बीस तरावीह पर ही अमल होता था।

हज़रत अली के ज़मानए ख़िलाफत में तरावीह २० रकात ही थी

حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن ابى الحسناء ان علياً امر رجلاً يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة (حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد ۳، صفحہ ۲۸۵)

तर्जुमा – हज़रत अबिलहसना रिवायत करते हैं हज़रत अली (रज़ि.) ने एक शख़्स को हुक्म फरमाया के वह लोगों को बीस रकात पढ़ाए।

इसी रिवायत पर ग़ैर मुक़ल्लेदीन ने दो ऐतराज़ किए हैं।

(1) एक यह है के हज़रत अली (रज़ि.) से इस रिवायत को नक़ल करने वाले अबिल हसना मझोल हैं। हाफिज़ इब्ने हजर ने उनको मझोल और हाफ़िज ज़हबी और अल्लामा नेमवी ने ला यअरिफू कहा है।

(2) ग़ैर मुक़ल्लेदीन का दूसरा ऐतराज़ यह है के हज़रत अबिल हसना की मुलाक़ात नहीं हुई लिहाज़ा यह रिवायत मुनक़ता है।

जवाब – पहले ऐतराज़ का जवाब यह है के अबिल हसना से दो रावी उमर बिन क़ैस और अबू सईद अलबक़्क़ाल यह रिवायत नक़ल कर रहे हैं। उसूले हदीस का यह क़ायदा मुसल्लम है के जिस रावी से एक से ज़ाइद रावी रिवायत कर दें तो उसकी जहालत ख़त्म हो जाती है फिर उसको मझोल नहीं कहा जाता।

एक अहम बात

एक अहम बात यह है के जिस रावी से दो या दो से ज़्यादा रावी रिवायत करें और उसके बारे में किसी माहेरीन फन्ने हदीस से उसका सच्चा होना साबित न हो तो उस रावी को मसतूर कहते हैं।

ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना मुबारक पुरी साहब लिखते हैं मसतूर तो उसे कहते हैं जिससे दो शख़्स रिवायत करें अगरचे किसी ने उस रावी की तौसीक़ न की हो (हवाला तेहक़ीकुल कलाम 175/1) – मालूम हुआ

के अबिल हसना मझोल नहीं है बल्के मसतूर है मझोल कहना ग़लत है। हाफिज़ इब्ने हजर असक़लानी ने जिस अबिल हसना को मजहूल कहा है वह दूसरा अबिल हसना है और वह अबुल हसना शरीके नख़ई का उस्ताद है और हज़रत अली की रिवायत में जो अबुल हसना रावी है वह मजहूल नहीं है क्योंके इससे दो रावी रिवायत करते हैं, यह मस्तूर तो हुआ मगर मजहूल नहीं हुआ।

मसतूर रावी की रिवायत का हुक्म

मसतूर रावी की रिवायत के बारे में एक जमाअत की राय यह है के यह मुतलक़ मक़बूल है हाफिज़ इब्ने हजर लिखते हैं के तेहक़ीक़ यह है के मसतूर की रिवायत न मुतलक़ क़ुबूल है न मुतलक़ मरदूद है....... फिर आगे लिखते हैं मसतूर वग़ैरह की मुताबेक़त को दूसरा मोअतबर रावी करे तो मसतूर रावी रिवायत हसन हो जाएगी। शरह नुख़बतुल फिक्र 87 - तदरीबुर्रावी 144/1) तोहफतुल अहवज़ी (199/1)

अबुल हसना पर दूसरा ऐतराज़ का जवाब

ग़ैर मुक़ल्लिद का दूसरा ऐतराज़ के अबुल हसना की मुलाक़ात हज़रत अली (रज़ि.) से साबित नहीं। यह ऐतराज़ बातिल है क्योंके सनद के मुत्तसिल होने के लिए इमकाने मुलाक़ात और इमकाने सिमाअ (रावी जिससे रिवायत करे उससे रिवायत सुनने मुमकिन हो) ही ज़रूरी है सुबूत मुलाक़ात या सुनने की सुबूत ज़रूरी नहीं।

और यह क़ायदा ग़ैर मुक़ल्लिद भी मानते हैं। ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम हाफिज़ मोहम्मद गोन्दलवी लिखते हैं - के बाक़ी रहा यह ऐतराज़ के मकहूल का सिमाअ महमूद से साबित नहीं अदमे सुबूत सेहत हदीस के मनाफी नहीं क्योंके हदीस की सही होने के लिए सिर्फ उस्ताद और शार्गिद की मुलाक़ात का मुमकिन होना काफी है अदमे सबूत से नफी लाज़िम नहीं आती (ख़ैरूल कलाम, सफहा 167)

ग़ैर मुक़ल्लेदीन की दूसरी किताब इबकारूल मिनन सफहा 145-146 पर यही क़ायदा लिखा हुआ है ग़ैर मुक़ल्लिद की तीसरी किताब तोज़ीहुल कलाम (59/2) भी मुलाहेज़ा हो। वहाँ भी यही क़ायदा है अबुल हसना और हज़रत अली के दर्मियान मुलाक़ात मुमकिन है इसलिए के अबुल हसना के दूसरे शार्गिद उमर बिन क़ैस किबारे ताबईन में से हैं ज़ाहिर बात है के शार्गिद ताबईन से हो तो वह उस्ताद कितना बड़ा ताबई होगा इसलिए अबुल हसना की मुलाक़ात हज़रत अली (रज़ि.) से मुमकिन है और यही इत्तसाल सनद के लिए काफी है।

अगर बिलफर्ज़ मान ही लिया जाए के अबुल हसना की मुलाक़ात हज़रत अली से मुमकिन नहीं है फिर भी इस हदीस की सेहत पर कोई ऐतराज़ नहीं पड़ता क्योंके इस सूरत में यह रिवायत मुरसल होगी न मुनक़ता क्योंके इस रिवायत की ताईद दूसरी रिवायत से भी होती है और इस पर हज़रत अली (रज़ि.) और दीगर सहाबा किराम ने अमल भी किया है।

इस हदीस की सेहत एक और दलील से

इस रिवायत की सेहत की एक दलील यह भी के मुहद्दिसे कबीर इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी हज़रत अली से मरवी बीस तरावीह वाली रिवायत को सही मानते हुए इसतदलाल करते हैं चुनाँचे फरमाते हैं -

वअकसरू अहलुल इल्मी अला मारूविया अन अलीय्यिन व उमर व ग़ैरिहिमा इशरूना रकातन (तिरमिज़ी 95/1)

मौलवी अब्दुल्लाह ग़ाज़ीपुरी ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम लिखते हैं अहले इल्म से सहाबा व ताबईन वग़ैरह मुराद हैं चुनाँचे इमाम तिरमिज़ी ने कई जगह इसकी तसरीह की है और जिस मसअले के बाबत इमाम तिरमिज़ी वल अमलु अला हाज़ा इन्दा अहलल इल्मो कहते हैं अगर इस मसअले में इख़्तलाफ न हो तो फिर हदीस की सेहत में कोई शुबहा नहीं अगर इख़्तलाफ हो तो उस हदीस को तक़वियत पहुँच जाती है शर्त है के उस हदीस के मुक़ाबिल कोई हदीस न हो (हवाला फतावा अहले हदीस 108/1) और यहाँ भी इस हदीस के मुक़ाबिल कोई हदीस नहीं लिहाज़ा यह हदीस भी इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक क़वी है।

मुक़ल्लेदीन की ख़िदमत में एक गुज़ारिश

अगर कोई ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम अपने हुजरे में बैठकर इस मज़कूरा हदीस का जवाब दे तो आप उसकी बात से मुतास्सिर न हो बल्के उसकी बात एक काग़ज़ पर नोट कर लें फिर उससे दस्तख़त करा लें फिर उसका जवाब मौलाना ताहिर हुसैन की किताब अहसनुत्तन्क़ीह लिरकातित्तरावीह में मिल जाएगा इन्शाअल्लाह।

ग़ैर मुक़ल्लेदीन से एक सवाल

क्या हज़रत उस्मान ग़नी का अपने दौरे ख़िलाफत में या हज़रत अली का अपने दौरे ख़िलाफत में आठ रकात तरावीह पढ़ना सहीह या ज़ईफ रिवायत से साबित है। क्या हज़रत उस्मान ग़नी या हज़रत अली ने अपने अपने ख़िलाफत के दौर में हज़रत उमर (रज़ि.) के फैसले के ख़िलाफ हुक्म दिया हो। अगर हो तो साबित करें वरना आप भी हज़रत उस्मान ग़नी और हज़रत अली के फैसले पर चलने की कोशिश करें। सारे आलम के मुसलमानों को सहाबा किराम की डगर से हटाने की कोशिश में जो साज़िश चल रही है बराए महरबानी इसको बन्द कर दें।

अलयकुम बिसुन्नती व सुन्नति ख़ुलफाइर्राशेदीन। यह हदीस है यह फरमाने रसूल (स.अ.व.) है जिस पर अमल करना अलामते ईमान और शाने इस्लाम है। वरना फ़िर सहाबा से दूरी है और अगर सहाबा से दूरी है तो फ़िर रसूले पाक (स.अ.व.स.) से भी दूरी है।

ग़ैर मुक़ल्लेदीन की चन्द धोखे बाज़ियाँ

ग़ैर मुक़ल्लिद अवाम को एक धोखा यह भी देते हैं बाज़ हनफी आलिम भी आठ रकात तरावीह के क़ायल हैं ना के बीस रकात के इनमें पहला नाम शेख़ इब्नुल हुमाम का लिया जाता है। चुनाँचे ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम लिखते हैं अल्लामा इब्नुल हुमाम जो फिक़्हा हनफी के मशहूर मोहक़्क़िक़ और मुजतहिद हैं वह भी तसलीम करते हैं सिर्फ आठ रकात ही सुन्नत है बाक़ी बारह रकात मुस्तहब है हवाला सलातुर्रसूल (सफहा 415) (अनवारूल मसाबीह, सफहा 31)

इसी तरह अल्लामा इब्ने नज्म ने अलबहरूर्राइक़ में और अल्लामा तहतावी ने दुर्रे मुख़तार में शेख़ इब्नुल हुमाम की बात को बिला इंकार नक़ल किया है (अनवारूल मसाबीह, सफहा 39)

जवाब

अल्लामा इब्नुल हुमाम बीस रकात तरावीह का इंकार नहीं करते अलबत्ता वह इन बीस में से सिर्फ आठ रकात को सुन्नत और बाक़ी बारह रकात को मुस्तहब कहते हैं और यह उनकी सिर्फ ज़ाती राय है उनकी राय से मसलक नहीं बनता उनके क़ौल की ताईद उम्मते मुसलिमा में से किसी ने भी नहीं की है यह उनका तफर्रूद है। इस मसअले के अलावा भी कई मसाइल में उन्होंने तफर्रूद इख़्तियार किया है जिसका कोई एतेबार नहीं।

अल्लामा इब्नुल हुमाम के तफर्रूदात ग़ैर मुक़ल्लेदीन की नज़र में

ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मौलाना इरशादुल हक़ असरी तोज़ीहुल कलाम 545/2 पर लिखते हैं अल्लामा इब्नुल हुमाम को फुक़हा हनफी में इजतेहादी मुक़ाम हासिल था .... अल्लामा इब्नुल हुमाम के शार्गिद अल्लामा क़ासिम अपने फतावा में फरमाते हैं .... शेख़ इब्नुल हुमाम के वह मुबाहिस जो मज़हब के मुख़ालिफ हैं उन पर अमल न किया जाए।

मौलाना गोन्दलवी साहब ग़ैर मुक़ल्लिद एक मसअले के ज़ेल में लिखते हैं अल्लामा इब्नुल हुमाम हनफी बावजूद फक़ीह होने के सवाद आज़म से शुज़ुज़ (अलग मसलक) फरमाते हैं (हवाला अत्तेहक़ीकुर्रासिख़, सफहा 22)

क्या ही ख़ूब हो के ग़ैर पर्दा खोले
जादू वह जो सर चढ़ कर बोले

और अल्लामा इब्ने नज्म और अल्लामा तहतावी भी 20 रकात ही के क़ायल हैं। मुलाहेज़ा फरमाएँ अलबहरूर्राइक़ (72/2) हाशेयत्तुहतावी इला मराक़िल फलाह 225, अल्लामा इब्ने नज्म और अत्तहतावी का क़ौल नक़ल किया तो वह महज़ उनका तफर्रूद बतलाने के लिए है यह नहीं के यह दोनों भी अल्लामा इब्नुल हुमाम की तरह आठ रकात के सुन्नत और बारह रकात के मुसतहब होने के क़ायल हैं बल्के उन्होंने तो बीस रकात को सुन्नत कह कर शेख़ इब्नुल हुमाम की तरदीद कर दी है।

धोखा नं. २

मौलाना नज़ीर अहमद रहमानी अनवारूल मसाबीह, सफहा 280 पर लिखते हैं के शेख़ अब्दुल हक़ मोहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मा सबता बिस्सुन्ना में लिखा है के बाज़ सलफ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहद में ग्यारह रकात पढ़ते थे।

अलजवाब– शेख़ अब्दुल हक़ ने यह रिवायत बग़ैर सनद के

ज़िक्र की है इस क़ौल को रूविया से ज़िक्र करके इस क़ौल के ज़ोअफ और ग़ैर मोअतबर होने की तरफ इशाराह कर दिया है और इसके बिलमुक़ाबिल सहीह सनद से साबित है के हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में लोग छत्तीस रकात तरावीह और तीन रकात वित्र पढ़ते थे (हवाला मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा 285/2, क़यामुल लैल, सफहा 91)

फरेब नं. ३

देवबन्द के बड़े आलिम हज़रत अल्लामा अनवर शाह कशमीरी के मुतअल्लिक़ लिखा है के - हज़रत कशमीरी ने भी तसलीम किया है के नबी सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम से तरावीह की आठ ही रकात सही तौर पर साबित हैं। बीस रकात वाली रिवायत की सनद ज़ईफ है इसके ज़ोअफ पर सबका इत्तेफाक़ है (हवाला अनवारूल मसाबेह, सफहा 179, तादादे रकात क़यामे रमज़ान सफहा 23, बहवाला अलउरफुश्शुज़ी 116/1)

जवाब

अल्लामा कशमीरी मौजूदा ग़ैर मुक़ल्लेदीन की तरह सिर्फ आठ रकात के क़ायल नहीं बल्के वह भी दीगर उलमा अहले सुन्नत की तरह बीस रकात को मसनून समझते हैं फरमाते हैं...... ज़रूरी है के इन बीस रकात के लिए कोई असल नबी सल्लल्लाहु अलयहि

वसल्लम से हो अगरचे वह हम तक क़वी सनद के साथ नहीं पहुँची । अलअरफुश्शज़ी (308/1)

हज़रत कश्मीरी यह भी तसलीम करते हैं के बीस रकात तरावीह पर तमाम उम्मत का इजमाअ और बीस से कम रकात का कोई भी क़ायल नहीं चुनाँचे फरमाते हैं

अइम्मा में से कोई भी इमाम बीस तरावीह से कम का क़ायल नहीं और बीस तरावीह ही अकसर सहाबा का मज़हब है .... हवाला अलअरफुश्शज़ी 309

अल्लामा इब्नुल हुमाम के क़ौल का रद करते हुए फरमाते हैं

के अल्लामा इब्नुलहुमाम फरमाते हैं आठ सुन्नते मोअक्केदा और बारह रकात मुस्तहब हैं इस तरह की बात उनके अलावा किसी ने भी नहीं कही अलअरफुश्शज़ी 309 । नीज़ शाह साहब हज़रत उमर (रज़ि.) के बीस रकात मुक़र्रर फरमाने के बारे में भी फरमाते हैं के हज़रत उमर (रज़ि.) के फेल को उम्मत की तरफ से कुबूलियत है (अलअरफुश्शज़ी)

मतलब यह हुआ के 20 रकात तरावीह पर तमाम सहाबा चारों अइम्मए अरबआ और तमाम मुहद्देसीन और औलियाए किराम और ओलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का इस पर इत्तेफ़ाक़ है। अगर किसी ने इसका इंकार किया है तो फ़िरक़ए ग़ैर मुक़ल्लेदीन ने

और शीआ हज़रात ने इसका इंकार किया है। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम ने फरमाया है के मेरी सारी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी इसलिए 20 रकात तरावीह पढ़ना ख़ुलफाए सलासा की सुन्नत और उम्मत का इजमा है इसलिए यह मज़हब हक़ है। अल्लाह तआला हम सबको सल्फे सालेहीन के तरीक़े पर चलने की तौफीक़ अता फ़रमाए। (आमीन)

:: किताब मिलने के पते ::

मकतबा हनफिया

कच्ची मस्जिद के सामने, रानीपुरा, इन्दौर

मोहम्मदी कुतुब ख़ाना

मोहम्मदी मस्जिद, चन्दन नगर, इन्दौर

यूसुफ भाई मसाले वाले

अबू बकर मस्जिद, अशरफ़ी नगर, खजराना, इन्दौर